

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पत्रा लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website: www.vdavns.com

वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 19.08.2026 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, आज " समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

दैनिक जागरण – दि० 19.08.2026

एम-30 के नाम पर एम-25 टाइल्स लगाईं, फर्म पांच साल के लिए डिबार

जासं, वाराणसी : निर्माण कार्यों में गुणवत्ता से खिलवाड़ और अधिकारियों को भ्रामक सूचना देना पीके इन्फ्रास्ट्रक्चर को भारी पड़ गया। वाराणसी विकास प्राधिकरण ने सौरभ विहार कालोनी अवलेशपुर में इंटरलाकिंग सड़क निर्माण में मानकों का उल्लंघन पाए जाने पर फर्म को पांच वर्ष के लिए डिबार कर दिया है। वीडिए के सभी निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की जांच आइआइटी-बीएचयू से कराई जाएगी और गुणवत्ता प्रमाणपत्र के बिना भुगतान नहीं होगा।

बताया गया कि अवलेशपुर में सड़क निर्माण के निरीक्षण के दौरान निर्धारित मानकों के अनुरूप जीएसबी सामग्री का इस्तेमाल नहीं पाया गया था। निर्देश के बाद फर्म ने सामग्री हटाकर मानक के अनुरूप जीएसबी डाली। इसके बाद सड़क में लगाई जा रही इंटरलाकिंग टाइल्स की गुणवत्ता पर भी संदेह हुआ। अनुबंध और डीएसआर दर के अनुसार कार्य में एम-30 ग्रेड की इंटरलाकिंग टाइल्स लगाई जानी थीं। निरीक्षण के दौरान फर्म ने अधिकारियों को बताया कि एम-30 ग्रेड की टाइल्स ही लगाई जा रही हैं। संदेह होने पर मौके से टाइल्स के नमूने की लैब जांच कराई गई। परीक्षण में एम-30 के बजाय एम-25 ग्रेड की टाइल्स इस्तेमाल होने की पुष्टि हुई। इसके बाद फर्म को कार्यस्थल पर लगाई गई सभी टाइल्स अपने

- अवलेशपुर के सौरभ विहार में इंटरलाकिंग निर्माण में मानकों के उल्लंघन का मामला
- पीके इन्फ्रास्ट्रक्चर ने वीडिए को दी थी गलत सूचना, आइआइटी-बीएचयू करेगा जांच

खर्च पर हटाकर एम-30 ग्रेड की टाइल्स से दोबारा निर्माण कराना पड़ा। वीडिए ने इसे गुणवत्ता मानकों और निविदा शर्तों का गंभीर उल्लंघन मानते हुए फर्म को पांच साल तक अपनी सभी निविदाओं में भाग लेने से वंचित कर दिया। भविष्य में निर्माण कार्यों की गुणवत्ता को लेकर किसी तरह की गड़बड़ी रोकने के लिए वीडिए ने नई व्यवस्था लागू की है।

अब प्राधिकरण के समस्त निर्माण कार्यों की थर्ड पार्टी क्वालिटी जांच आइआइटी-बीएचयू करेगा। आइआइटी का गुणवत्ता प्रमाणपत्र मिलने के बाद ही भुगतान किया जाएगा। वीडिए उपाध्यक्ष पूर्ण बोरा ने बताया कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता से किसी भी स्तर पर समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा और मानकों का उल्लंघन करने वाली फर्मों पर नियमानुसार कठोर कार्रवाई

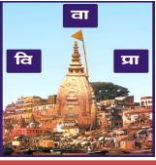
जारी रहेगी।

हिन्दुस्तान— दि० 19.08.2026

वीडीए ने पीके इन्फ्रास्ट्रक्चर को किया डिबार

वाराणसी। गुणवत्ता मानकों के उल्लंघन एवं भ्रामक सूचना देने पर वीडिए प्रशासन ने पीके इन्फ्रास्ट्रक्चर को पांच वर्ष के लिए डिबार कर दिया है। सौरभ विहार कालोनी अवलेशपुर में फर्म की ओर से इंटरलाकिंग एवं सड़क निर्माण प्रोजेक्ट में मानकों के विपरीत कार्य मिलने पर यह कार्रवाई की गई। वीडिए उपाध्यक्ष पूर्ण बोरा ने यहां का निरीक्षण किया था।





वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पत्रा लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website: www.vdavns.com

आज— दि० 19.08.2026

विप्रा उपाध्यक्ष स्वयं निर्माण एजेंसीको डाला काली सूचीमें

विप्रा उपाध्यक्ष पूर्ण वोराने निर्माण कार्यकी गुणवत्ता और निविदाकी शर्त और नियमोंका उल्लंघनमें दोषी पाते हुए कार्यदायी संस्थामें पीके इन्फ्रास्ट्रक्चर पांच वर्षके लिए विप्रामें निविदामें भाग लेने पर वंचित कर दिया। उन्होंने भविष्यमें इस प्रकारकी अनियमितताको रोकनेके लिए कार्योके गुणवत्ताकी जांच थर्ड पार्टीसे करानेका निर्देश दिया। साथ ही आईआईडी बीएचयू के गुणवत्ता प्रमाणपत्र मिलनेके बाद ही किसी भी कार्यके लिए एजेंसीका भुगतान होगा। निर्माणाधीन एजेंसीने सौरभ विहार कालोनी अवलेशपुरमें इण्टरलाकिंग सड़क निर्माण कार्यमें निरीक्षण एवं निर्धारित मानकोंके अनुरूप जीएसबी सामग्रीका प्रयोग नहीं किया था। इसके अलावा कार्यस्थलपर इण्टरलाकिंग टाइल्सकी गुणवत्ता भी दुरुस्त नहीं पायी गयी। कार्यमें एम ३० ग्रेडकी इण्टरलाकिंग ईटका प्रयोग होना था। संदेह होनेपर उपाध्यक्ष महोदयके निर्देशपर टाइल्सको प्रयोगशालामें परीक्षणके लिए भेजा गया। उसमें एम ३० के स्थानपर एम २५ ग्रेटका इण्टरलाकिंग कार्यमें प्रयोग किया गया। मौकेपर गुणवत्तामें कमीको देखते हुए कार्यदायी एजेंसीको पांच वर्षके लिए ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया। उपाध्यक्षने बताया कि विभागके निर्माण कार्यमें किसी प्रकारका समझौता नहीं किया जायेगा और निविदा शर्तोंका उल्लंघन करनेपर एजेंसीके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जायेगी।

